सं.1O(3)/2011-डीबीए-II/उपक्षे (भाग-II)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 7 मई 2013

सेवा,

प्रधान सचिव (उद्योग)

उद्योग विभाग,

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारें,

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुराराज्य सरकार।

विषय: उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनई ई ईपीपी), 2007 के तहत केंद्रीय पूंजीगत निवेशराजसहायता के लिए परिचालन सबंधी दिशानिर्देश।

महोदय,

मुझे एनई ई ईपीपी, 2007के तहत केंद्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना (सीसी ईएसएस) संबंधी दिनांक 27.07.2007 और 21.09.2007कीअधिसूचनाओं का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश प्राप्त हु हकि इस विभाग द्वारा कई बार सीसी ईएसएस के संबंध में विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए कई परिपत्र / पत्र जारी किए गए हैं। जिसके द्वारा सामान्य परिचालन दिशानिर्देशों को अद्यतन करने की वश्यकता महसूस की गईह जिन्हेंइस विभाग के पत्रदिनांक 21.08.2008के सं.10(6)/ 2008-डीबीए-II/उपक्षेके माध्यम से परिचालित किया गया था।

2. उपरोक्त के मद्देनजर, सीसी ईएसके लिए एक अद्यतन सामान्य परिचालन दिशानिर्देश,इस विभाग के नवीनतम निर्देशों / परिपत्रों को सम्मिलित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न किया ह।

3. अनुरोध किया जाता हकि संबंधित राज्य सरकारों द्वाराअद्यतन सामान्य परिचालन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसारकिया जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:2306 3096

फक्स: 2306 2626

ईमेल: a.kumar64@nic.in

प्रति:

सचिव (उद्योग) /□ युक्त(उद्योग) विभाग, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।

प्रति प्रेषित:

1. निदेशक (उद्योग), असम सरकार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।
2. सीसीए, डी□ ईपीपी
3. निदेशक, □ ईएफडब्ल्यू, डी□ ईपीपी
4. मुख्य प्रबंध निदेशक, एनईडीएफ□ ई
5. फाईनर, सी□ ई□ ई, ऐसोचेम, फिक्की

भवदीय,

हस्ता/-

(अरुण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:2306 3096
फक्स: 2306 2626
ईमेल: a.kumar64@nic.in

230052/2020 / डीबीए द्वितीय / एनई□ र35

<u>उत्तर पूर्व औद्योगिक एव□निवेश प्रोत्साहन नीति, 2007</u>

औद्योगिक इकाइयों के पञ्जीकरण के लिए सामान्य प्रचालन दिशा निर्देश और एनई□ ई□ ईपीपी, 2007 की केन्द्रिय पूञ्जी निवेश राजसहायता (सीएस□ ईएस) योजना के तहत राजसहायता के दावों के लिए प्रक्रिया

I. औद्योगिक इकाइयां जो इस योजना के तहत राजसहायता का दावा करना चाहती ह□ इस संबंध में नई इकाइयों को अपने वाणिज्यिकउत्पादन की शुरु□ त की तारीख से पहले संबंधित जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत होया मौजूदा इकाई के लिए पर्याप्त विस्तार करने के लिए वचनबद्धता देनी चाहिए। इस तरह के पंजीकरण के लिए □ वेदन निर्धारित □ वेदन प्रपत्र में किया जाएगा।

II. क्षमता / □ धुनिकीकरण और विविधीकरण के विस्तार के उद्देश्य के लिए 'औद्योगिक विस्तार' का अर्थ औद्योगिक इकाई के संयंत्र और मशीनरी में अचल पूंजी निवेश के मूल्य में वृद्धि करने से ह□ जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगा।

III. संबंधित जिला उद्योग केंद्र (डी□ ईसी) के महाप्रबंधक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

IV. अपूर्ण सूचना / दस्तावेजों के □ धार पर डी□ ईसी द्वारा पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

V. यह सुनिश्चित किया जा सकता ह□कि किसी भी औद्योगिक इकाई को एनई□ ई□ ईपीपी, 2007 के तहत लाभों के लिए पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, यदि यह इस नीति के पञ्ज (X) और (XIII) के तहत प्रदान की गई निषेध सूची और संबंधित योजना की अधिसूचनाओं के अनुलग्नक 4 के अंतर्गत □ ती ह□

VI. पंजीकरण फार्म और पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के 30 दिनों के भीतर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (संलग्नकों के बिना) को प्रेषित की जानी चाहिए।

VII. एनई□ ई□ ईपीपी, 2007 की सीसी□ ईएस योजना के तहत राजसहायता के दावे को संबंधित डी□ ईसी को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतरदावा प्रस्तुत करना होगा। विलंबित पंजीकरण के मामलों को डी□ ईपीपी के पत्र क्रमांक 10(5)/2008-डीबीए-एच/एनई□ र दिनांक 25 अगस्त, 2008 और पत्र संख्या 10/6/2008-डीबीएII/एनई□ र दिनांक 15 मार्च, 2012 को प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निपटाए जाएंगे। उन इकाइयों के

मामले में जो योजना की अधिसूचनाओं में देरी के कारण 27.07.2007 / 21.09.2007 तक स्वयं को पंजीकृत नहीं करवा पाई थी और बाद में दिनांक 31.12.2008 तक स्वयं को पंजीकृत करवा लिया ह। ऐसी इकाइयों के पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर इन इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दावे यदि राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) देरी के मामले को उचित मानती ह। तो इसे स्वीकार किया जा सकता ह। बाद में छूट के लिए कोई अन्य मामलों को परिचालन / वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के सख्त सबूत के अधीन,एसएलसी द्वारा इस तरह की छूट की सिफारिश करने के बाद डी ईपीपी द्वारा मामले के धार पर निपटाया जाएगा। ऐसे मामलों में, अंतिम निर्णय डी ईपीपी का ही होगा।

VIII. औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रारंभ की तारीख स्थापित करने के लिए डी ईसी / एसएलसी द्वारा उचित प्रयत्न करने चाहिए।

IX. डी ईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजसहायता के लिए दावा वेदन पत्र सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए और चेक लिस्ट के अनुसार सभी वश्यक दस्तावेज संलग्न हो। किसी भी परिस्थिति में अपेक्षित दस्तावेजों के बिना अधूरे वेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

X. दावे के वेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों को संबंधित अधिकारी द्वारा दावा वेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रविष्टियाँ गलत सूचना पर धारित न हों।

XI. यदि इस योजना के तहत कोई भी दावा विचाराधीन ह। तो एनई ई। ईपीपी, 2007 की सीसी ईएस योजनाओं के तहत राजसहायता का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए ।

XII. संयंत्र और मशीनरी / परियोजना की लागत के संबंध में सभी लेनदेन, जा भी हो, 'भुगतान चेक' या"डिमांड ड्राफ्ट"के माध्यम से ही होना चाहिए। नकद में कोई भी भुगतान राजसहायता की गणना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

XIII. सभी प्रकार के व्यय को पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

XIV. योजना के तहत राजसहायता की पात्रता और मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से भूमि की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।

XV. एनई ई। ईपीपी, 2007 की सीसी ईएस योजना के तहत राजसहायता यातित पुरानी पूंजीगत वस्तुओं पर प्रदान नहीं की जाएगी।

XVI. डी ईसी जीएमकोडी ईसी के हस्ताक्षर के तहत प्रत्येक दावे पर तारीख-मोहर लगानी चाहिए। जीएम को संबंधित चेकलिस्ट के अनुसार वश्यक सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगानी चाहिए।

XVII. डी ईसी के अधिकृत अधिकारी को प्रत्येक इकाई के स्थान का दौरा करना चाहिए और इकाई द्वारा किए गए औद्योगिक इकाई / पर्याप्त विस्तार के अस्तित्व और संचालन को भौतिक रूप

से सत्यापित करना चाहिए और निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यह उपयुक्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और अपनी बठक के कार्यवृत्त में संलग्न किया जाएगा।

XVIII. जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

XIX. उद्योग निदेशक, डी ईसी द्वारा अग्रेषित दस्तावेजों की पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए एक अधिकारी को नामित करेंगे।

XX. डी ई / डी ईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावों की प्राप्ति की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर सभी दावे उपयुक्त समिति के समक्ष रखे जाएं। असाधारण परिस्थितियों में, अगर देरी होती ह तो इसका कारण डी ईसी ई ई के संबंधित अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में प्रदान किया जाना चाहिए)।

XXI. इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद ही डीएलसी / एसएलसी द्वारा राजसहायता का दावा माना जाएगा, जब तक कि ऐसा कोई प्रावधान योजना में नहीं किया गया हो।वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाई का प्रमाण पत्र राजसहायता के दावों के साथ अवश्य होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार / केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाएगा, जा भी मामला हो।

XXII. योजनाओं के तहत दावों से संबंधित मामलों के लंबित होने से बचने के लिए डीएलसी / एसएलसी की बठक एक तिमाही में कम से कम एक बार योजित की जानी चाहिए।

XXIII. डीएलसी केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता के संबंध में अधिकतम 5 लाख रुपये (पांच लाख) तक की योजना के तहत राजसहायता के दावों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत ह डीएलसी अधिकार क्षेत्र से परे दावों पर एसएलसी द्वारा विचार किया जाएगा।

XXIV. संबंधित राज्य सरकार, राज्य उद्योग विभाग, राज्य वित्त विभाग, केंद्र सरकार (डी ईपीपी द्वारा नामित), उत्तर पूर्वी विकास वित्तीय निगम, उत्तर पूर्वी विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफ ई) और संबंधित वित्तीय संस्थान (यदि औद्योगिक इकाई को वित्तीय संस्थान द्वारा सहायता दी जा रही ह) से प्रत्येक राज्य के कम से कम एक प्रतिनिधि को मिलाकर एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करेगी। यह समिति प्रत्येक मामले की गहनता से छानबीन करेगी कि क्या इकाई राजसहायता के अनुदान के लिए पात्र हऔर राजसहायता की राशि के बारे में भी निर्णय देगी।

XXV. एसएलसी बठक की सूचनाविस्तृत एजेंडा नोट के साथ बठक की तारीख से कम से कम सात कार्य दिवस पहले सभी संबंधितों तक पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा बठक को स्थगित कर दिया जाएगा।

230054/2020 / डीबीए द्वितीय / एनई र38

XXVI. 1.5 करोड़ से 30 करोड़ रुपये के बीच राजसहायता के दावे संबंधी मामले उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। 30 करोड़ रुपये से अधिक के दावे संबंधी मामले केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

XXVII. 1.5 करोड़ रुपये (केवल सेवा क्षेत्र के लिए) से नीचे के दावों के संबंध में, एसएलसी /डीएलसी बठक से पहले एनईडीएफ ई परियोजना की लागत के विवरण की जांच करेगा। बैंक द्वारा अनुमोदित डीपी र परियोजना लागत तय करने का धार होगा। यदि वश्यक हो, एनईडीएफ ई दावाकर्ता इकाई से किए गए खर्चो के विवरण के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज / साक्ष्य की मांग कर सकता ह। डीएलसी / एसएलसी के समक्ष इस प्रकार की गई जांच निष्कर्षोंको रखा जाएगा।

XXVIII. मतौर पर, एसएलसी दावे पर विचार करने से पहले इकाई के स्थल का दौरा करेगी। एनई ई ईपीपी, 2007 की केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजनाओं के तहत दावों के मामले में, उच्चाधिकार प्राप्त समिति / केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की वश्यकता ह यानी रु.1.5 करोड़ से अधिक के दावों के लिए,संबंधित राज्य सरकार के दल को इकाई के क्षेत्र के दौरे का योजन करना चाहिए, इस दल में एक-एक प्रतिनिधि (क) संबंधित राज्य सरकार (ख) इकाई की वित्तीय मदद करने वाले प्रत्येक वित्तीय संस्थान, (ग) केंद्र सरकार के विभाग / मंत्रालय उस क्षेत्र का प्रशासक जिसमें दावेदार औद्योगिक इकाई ती ह (दल का प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों / स्वायत्त निकायों का **<u>एक उदाहरण अनुबध- क पर सलग्न</u>** ह। और (घ) एनईडीएफ ई से होगा।

XXIX. फील्ड दौरा दल के कार्य मोटे तौर पर निम्नानुसार होंगे: -

- संयंत्र और मशीनरी की भौतिक मौजूदगी को सत्यापित करना जिसके संबंध में औद्योगिक इकाई द्वारा दावा किया गया ह।
- यह पता लगाना कि औद्योगिक इकाई द्वारा राजसहायता के लिए किया गया दावा संयंत्र और मशीनरी के घटक / इटम योजना के प्रावधानों और बाद में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण के अनुसार हैं।
- वित्तीय संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना को अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ-साथ,संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की राशि का कलन करने में सहायता की थी।

- संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में मूल्यांकन रिपोर्ट से राजसहायता के लिए पात्र मानने के लिए उपयुक्त रूप से विचलन की व्याख्या करना (यदि कोई हो) । विचलन रिपोर्ट अनुबंध सी में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।
- फील्ड दौरा की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर फील्ड दौरा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

XXX. फील्ड दौरा एसएलसी बठक से पहले किया जाएगा। फील्ड दौरादल की रिपोर्ट को एसएलसी बठक में रखे गए एजेंडा नोट में शामिल किया जाएगा।

XXXI. योजना के तहत दावे की सिफारिश / अनुमोदन करते समय, एसएलसी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगा: -

• वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख

• डी ईसी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

• फील्ड विजिट की कलन रिपोर्ट (1.50 करोड़ रुपये से अधिक के दावे के लिएअनिवार्य)

• औद्योगिक इकाई के अस्तित्व के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज

• इकाई के उत्पादन के ंकड़े

• औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपी र) / तकनीकी- थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफ र)

• क्या इन संयंत्र और मशीनरी को खरीदने / प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए खाते द्वारा भुगतान
चेक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/ रटीजीएस के माध्यम से किया गया ह।

• वित्तीय संस्थान(ओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना में वित्तीय सहायता की गई ह।

• डी ईपीपी द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए पीएंडएम के योग्य घटकों पर स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 25.02.2013 का नवीनतम स्पष्टीकरण प्रदान किया गया हऔर यह अनुलग्नक-बी पर संलग्न ह।

• वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के संबंध में एसएलसी बठक में मंत्रित किया जाना चाहिए।

- उपरोक्त के अलावा, एसएलसी किसी भी अन्य दस्तावेजों / रिपोर्टों की वश्यकता को भी निर्धारित कर सकता ह जो औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए दावों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए वश्यक हैं।

XXXII. किसी विशेष दावे की सिफारिश / स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श और औचित्य संबंधित एसएलसी बठक के कार्यवृत्तों में विधिवत दर्ज किए जाएंगे। वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट में विचार की गई पी एंड एम की वस्तुओं से इस सूची में कोई भी विचलन, जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता की थी और तकनीकी टीम की □ कलन रिपोर्ट को उचित रूप से एसएलसी द्वारा विचलन रिपोर्ट में समझाया / उचित ठहराया जाना चाहिए (अनुलग्नक-सी के रूप में संलग्न) ।

XXXIII. सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्र के लिए स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, एसएलसी को ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने से पहले किसी भी (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या (ii) सिडबी या (iii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निवेश किए गए दावों का □ कलन करवा लेना चाहिए।

230054/2020 /डीबीए द्वितीय/एनई□ र40

XXXIV. डीएलसी / एसएलसी द्वारा अनुमोदित / अनुशंसित राजसहायता दावों के सभी मामलों की पहले समीक्षा की जानी चाहिए। संबंधित राज्य सरकार डी□ ईपीपी को इस तरह की पूर्व जांच के लिए अनुरोध भेजेगी, जो पूर्व समीक्षा दल को नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी। पूर्व-समीक्षा एनईडीएफ□ ई के कार्यालय गुवाहाटी / संबंधित राज्य की राजधानी में की जाएगी।

XXXV. पूर्व समीक्षा दल अपनी रिपोर्ट डी□ ईपीपी को सौंपेगी। ऐसी रिपोर्ट डी□ ईपीपी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाएगी।

XXXVI. पूर्व समीक्षा दल द्वारा अनुमोदित मामलों में, जहां पूंजी निवेश राजसहायता का दावा 1.5 करोड़ रुपये से अधिक ह□ एसएलसी के बठकों के कार्यवृत्त के साथ इकाई की केस फाइल डी□ ईपीपी (उच्चाधिकार प्राप्त समिति/ कबिनेट समिति के विचार के लिए) को भेज दी जानी चाहिए, जसा भी मामला हो, और बाकी मामलों के लिए, बठक के कार्यवृत्त की एक प्रति डी□ ई□ ईपीपी को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए।

XXXVII. दावे की कम से कम 10% राशि एनईडीएफ□ ई की ऑडिट के बाद दिया जाएगा।

XXXVIII. इकाई को निर्धारित प्रारूप के अनुसार वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपी□ र) उद्योग निदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी जिसकी एक प्रति डी□ ईपीपी को भी प्रेषित करना □ वश्यक होगा।

XXXIX. एक औद्योगिक इकाई को देय राजसहायता की मात्रा की गणना पात्र घटकों पर की जानी चाहिए, जसा कि योजनाओं में निर्धारित किया गया ह□और बाद में डी□ ईपीपी द्वारा समय-समय पर निर्देश / स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इस संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, स्पष्टीकरण के लिए मामले को डी□ ईपीपी को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध मेंडी□ ईपीपी का निर्णय अंतिम होगा।

XL. टीएसएस और एफएसएस के दावों से संबंधित कार्यसूची मदों को अलग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

230054/2020 / डीबीए द्वितीय / एनई र41

<u>एनई ई ईपीपी 2007 की केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना तहत दावों के लिए निर्धारित प्रपत्र / प्रारूप / प्रोफार्मा</u>

क्र.सं	उद्देश्य	फार्म क्रमांक
1.	एनई ई ईपीपी, 2007 के तहत नई इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेदन पत्र (सिंगल पंजीकरण के तहत सभी योजनाएं)।	1ए
2.	जाँच सूची (दस्तावेजों की प्रमाणित / सत्यापित फोटो कॉपी के साथ नई इकाइयों द्वारा एनई ई ईपीपी, 2007 के तहत पंजीकरण के लिए वेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना वश्यक ह)।	1ए(i)
3.	पंजीकरण प्रमाण पत्र (नई इकाइयों के लिए)	1ए.1
4.	एनई ई ईपीपी, 2007 के तहत मौजूदा इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेदन पत्र(सिंगल पंजीकरण के तहत सभी योजनाएं)।	1बी
5.	जाँच सूची (दस्तावेजों की प्रमाणित / सत्यापित फोटो कॉपी के साथ मौजूदा इकाइयों द्वारा एनई ई ईपीपी, 2007 के तहत पंजीकरण के लिए वेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना वश्यक ह)।	1बी(i)

6.	पंजीकरण प्रमाण पत्र (मौजूदा इकाइयों के लिए)	1बी.1
7.	केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता के लिए दावा वेदन पत्र	1सी
8.	जाँच सूची (दस्तावेजों की प्रमाणित / सत्यापित फोटो कॉपी के साथ एनई ई ईपीपी, 2007 के तहत केन्द्रिय पूंजी निवेश राजसहायता के दावे के लिए वेदन पत्र)।	1सी(i)
9.	संयंत्र एवं मशीनरी पर किए गए निवेश का विवरण	1सी(ए)
10.	पंजीकृत चार्टड एकाऊन्टेंट का प्रमाण पत्र (नई इकाइयों के लिए)	1सी.बी(i)
11.	पंजीकृत चार्टड एकाऊन्टेंट का प्रमाण पत्र (मौजूदा इकाइयों के लिए)	1सी.बी(ii)
12.	शपथ -पत्र	1सी(सी)
13.	वित्तीय संस्थान/बैंक का प्रमाण पत्र	1सी(डी)
14.	केन्द्रिय पूंजी निवेश राजसहायता के लिए जिला उद्योग केन्द्र की रिपोर्ट	1सी(ई)
15.	पंजीकृत चार्टड एकाऊन्टेंट का वित्तीय स्त्रोत के संबंध में प्रमाण पत्र	1 सी(एफ)
16.	सेवा क्षेत्र के लिए पंजीकृत वास्तुकारका भवन निर्माण का प्रमाण पत्र (नई इकाइयों के लिए)	1सी(जी)(i)
17.	सेवा क्षेत्र के लिए पंजीकृत वास्तुकार से भवन निर्माण पर प्रमाण पत्र (मौजूदा इकाइयों के लिए)	1सी(जी)(ii)
18.	सभी योजनाओं के लिए एसएलसी/डीएलसी के लिए कार्यसूची नोट का प्रोफार्मा	निगरानी फार्म: 1
19.	एसएलसी द्वारा राजसहायता के भुगतान के लिए एनईडीएफ ई को जमा किए जाने वाल प्रोफार्मा	निगरानी फार्म: 2
20.	अनुबंध के लिए प्रोफार्मा	निगरानी फार्म: 3
21.	इकाई द्वारा जमा की जाने वाली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपी र)	निगरानी फार्म: 4

फार्म: ई(i)/एएल

जाच सूची

एनई ई ईपीपी, 2007 के तहत पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने के लिए वेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित / सत्यापित फोटो कॉपी।

1.इकाई का भवन निर्माण

क. प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में

(1) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र

(ii) ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम

(iii) निदेशक/निदेशकोंके नाम, पता और उनके पहचान संख्या

ख.पार्टनरशिप इकाई के मामले में

(i) पार्टनरशिप डीड

(ii) सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी

(iii) पहचान नंबर के साथ भागीदारों का नाम और पता

ग. सहकारी समिति के मामले में

(i) सहकारी समिति के संयुक्तरजिस्ट्रारका पंजीकरण प्रमाण पत्र

(ii) ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम

(iii) इकाई के पंजीकरण के लिए सामान्य निकाय का संकल्प।

2. पंजीकरण

क. प्रस्तावित/नई इकाई के मामले में

उद्यमी ज्ञापन भाग I और भाग II / ई ईईएम (एलओ ई/ ईएल (जो भी लागू हो)

ख. यदि मौजूदा इकाईविस्तार करना चाहती हतो

पीएमटी पंजीकरण/ उद्यमी ज्ञापन भाग II / ई ईईएम (एलओ ई/ ईएल (जो भी लागू हो)

3. भूमि एवं भवन

क. यदि स्वय की भूमि हो

(i)खरीद विलेख / उपहार विलेख / कोई अन्य दस्तावेज जो स्वामित्व को सिद्ध करता हो (ii) □ ज तक गण-अवलंबी प्रमाणपत्र (iii) जमाबंदीनकल और निशानी नक्शा

ख. यदि औद्योगिक जमीन सरकारी ऐजेन्सी के द्वारा □ बंटित की गई ह□

I. समझौता विलेख

II. □ ज दिनांक तक किराए के भुगतान की रसीदें।

ग. यदि औद्योगिक जमीन शेड सरकारी ऐजेन्सी द्वारा □ बंटित किया गया ह□

I. समझौता विलेख

II. □ ज दिनांक तक किराए के भुगतान की रसीदें।

घ. निजी मालिक से पट्टे की भूमि के मामले में

किराया विलेख समझौता

ड.यदि सरकारी प्लॉट/ सरकार द्वारा □ बंटित प्लॉटह□

I. □ बंटन पत्र

II. प्रीमियम भुगतान की रसीद

4. फार्म 1सी(ए) के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का विवरण

5. प्लांट एवं मशीनरी के बिलों, वाऊचरएवं धनरसीदों कीप्रमाणितप्रतियां

6. फार्मसंख्या 1सी(बी)(i)/फार्मसंख्या 1सी(बी)(ii)के अनुसार चार्टड एकाऊन्टेन्ट से अचल पूंजी निवेश प्रमाण पत्र

7. वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा भुगतान के संबंध में प्रमाण पत्र, फार्म संख्या 1सी(डी)

8. कार्यशील पूंजी/ □ वधिक ऋण के लिए वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा मंजूरी पत्र

9. चार्टड एकाऊन्टेन्ट से फार्म 1सीएफ के अनुसार धन के स्त्रोत का प्रमाण पत्र

10. फार्म 1सी(जी)(i)/फार्म1सी(जी)(ii) के अनुसार पंजीकृत वास्तुकार से भवन निर्माण का प्रमाण पत्र

11. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपी□ र) / तकनीकी-□ र्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफ□ र)

12. ऋण दाता बैंक / वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट

13. राज्य विद्युत बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी / सक्षम विभाग से विद्युत अनुमोदन पत्र और पहला बिल।

14. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र

15. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/ प्रचालन सहमती पत्र

16. कच्चे माल की खरीद का पहला बिल/रसीद

17. तयार उत्पाद / सेवा की पहली बिक्री का चालान।

18. फार्म: □ ईसी(सी) के अनुसार शपथ पत्र

19. कर्मचारियों का नाम, पता एवं पदनाम

20. पिछले तीन लेखा वर्षों की बलेंस शीट (मौजूदा इकाइयों के विस्तार के मामले में)।

21. चाय के कारखाने के मामले में चाय बोर्ड का पंजीकरण

22. एनई□ ई□ ईपीपी, 2007 के तहत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
23. औद्योगिक इकाई / निदेशकों / प्रोपराईटरों / साझेदारों का पहचान कार्ड
24. बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क निकासी प्रमाणपत्र
25. (क)वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख के बारे में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को सूचित करने के लिए औद्योगिक इकाई का पत्र, जिसकी रसीद केंद्रीय उत्पाद प्राधिकरण द्वारा विधिवत स्वीकार की जानी चाहिए, (विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के मामले में)

(ख) संबंधित विभाग से इकाई के प्रचालन / कार्य □ रंभ करने की तिथि का प्रमाण पत्रजो भी लागू हो (सेवा क्षेत्रों की इकाई के मामले में)

26. प्रोजेक्ट की लागत के संबंध में एनईडीएफ□ ई के द्वारा की गई छानबीन की रिपोर्ट (सेवा क्षेत्रों की इकाई के मामले में)
27. राज्य सरकार/उद्योग निदेशालय/एनईडीएफ□ ई के निर्देशानुसार कोई अन्य □ वश्यक दस्तावेज।

अनुलग्नक -क

फील्ड विजिट टीम के लिए प्रशासनिक मन्त्रालयों / विभागों / स्वायत्त निकायों के प्रतिनिधि के लिए उदाहरणात्मक पत्रल

1. इस्पात उद्योग
   राष्ट्रीय इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एन□ ईएसएसटी),
   भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित।
   पता: पोस्ट बॉक्स नंबर 92, जीटी रोड, मण्डी गोबिंदगढ़, जिला - फतेहगढ़ साहिब,
   पंजाब -144 301 दूरभाष: 01765-258080, 259532, 252558, 259367, 2S0574
   फाक्स: 01765-258079
   ई-मेल: nisst@dataone
   वेबसाइट: www.nisst.org
   संपर्क व्यक्ति: निदेशक एवं बोर्ड सचिव, एन□ ईएसएसटी
   2. सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री उद्योग
   राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम),
   औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय,
   वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
   पता: 34 माईल स्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड (एनएच-2), बल्लभगढ़, हरियाणा- 121004
   फोन: 0129-2242051, 4192222
   फाक्स: 0129-2242100,2246175
   ई-मेल: nccbrn@ncbindia.com,
   info@ncbindia.com वेबसाइट: www.ncbindia.com संपर्क व्यक्ति: महानिदेशक,
   एनसीसीबीएम
   3. एनसीसीबीएम के अधिकार क्षेत्र के बाहर के भवन निर्माण सामग्री उद्योग

भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी),
 वास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार,
पता: कोर 5-ए, पहली मंजिल, इंडिया हाबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-24636705
फाक्स: 011-24642849
ई-मेल: bmtpc@del2.vsnl.net.in,
वेबसाइट: www.bmtpc.org
संपर्क व्यक्ति: कार्यकारी निदेशक, बीएमटीपीसी

4. कागज और प्लाईवुड उद्योग
पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीपी र ई),
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
पता: पोस्ट बॉक्स 174, पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर - 247 001
फोन: 0132-2714050, 2714061,2714062,2714059
फाक्स: 0132-27 14052
ई-मेल: director@cppri.org.in, info@cppri.org.in
वेबसाइट: www.cppri.org.in संपर्क व्यक्ति: निदेशक, सीपीपी र ई
5. औषध उद्योग,
फार्मास्यूटिकल्स विभाग,रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
पता: शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
6. खाद्य और पेय उद्योग
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार,
पता: प्लॉट नंबर 85, सेक्टर -18, औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव- 122015 (हरियाणा)
फोन: 0124 - 2342991, 2341225
टेली (फाक्स: 0124-2342992)
वेबसाइट: www.nhb.gov.in
संपर्क व्यक्ति: प्रबंध निदेशक
7. होटल / रिसॉर्ट्स
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD),
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
पता: ए-विंग, कमरा नंबर 111, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011

फोन: 011-23063154
फ़ाक्स: 01-23061122
ई-मेल: cpwd-dgw@nic.in
वेबसाइट: www.cpwd.gov.in
संपर्क व्यक्ति: महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
8.अस्पताल / नर्सिंग होम
(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (उत्तर पूर्व प्रभाग),
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पता: निर्माण भवन, मौलाना ज़ाद मार्ग, नई दिल्ली - 110011
तथा
(ii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी),
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पता: ए-विंग, कमरा नंबर 111, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
फोन: 011-23063154Fax: 011-23061122
ई-मेल: cpwd-dgw@nic.in
वेबसाइट: www.cpwd.gov.in
संपर्क व्यक्ति: महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी